

: प्रारम्भिक डिक्री :-

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-18/2020 (2020/00043)
अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

दर्ज दिनांक 07.02.2020

शीर्षक

श्रीमती लाडदेवी पत्नि मांगीलाल सुनार निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादिया

बनाम

1. कंकु पुत्री जीतमल गाडरी
2. चांदी पुत्री जीतमल गाडरी
3. जगदीश आत्मज मांगु गाडरी
4. जेती पत्नि स्व0 जीतमल गाडरी
5. जमनी पत्नि किशना गाडरी
6. देऊ पत्नि मांगु गाडरी
7. नाथु आत्मज कालु गाडरी
8. नानी पुत्री प्यारा गाडरी
9. नानी पुत्री रामा गाडरी
10. नारायण आत्मज हीरा गाडरी
11. भगु पुत्री जीतमल गाडरी
12. भेरी पुत्री किशना गाडरी नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता जमनी पत्नि किशना गाडरी
13. मांगी पुत्री हीरा गाडरी
14. शंकरलाल आत्मज जीतमल गाडरी
15. शिवलाल आत्मज जीतमल गाडरी
16. सावंरलाल आत्मज किशना गाडरी नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता जमनी पत्नि किशना गाडरी
17. सीमा पुत्री किशना गाडरी नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता जमनी पत्नि किशना गाडरी सर्व निवासी गायत्रीनगर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
18. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 शिवरती तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये व्यवस्थापक।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता वादीगण:- श्री भोलाराम माली
पेरोकार सरकार



1.


सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय ::

दिनांक 11.01.2021

वादिया ने अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट के वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गायत्रीनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 17 एवं मृतक उदी पत्नि हीरा के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्बत् 2073 से 2076 खाता संख्या 128में अंकित आराजी संख्या 560 रकबा 0.30हे0, 595 रकबा 0.07 हे0, 596 रकबा 0.07 हे0, 597 रकबा 0.09 हे0,598 रकबा 0.15 हे0, 599 रकबा 0.11 हे0, 600 रकबा 0.07 हे0, 601 रकबा 0.08 हे0,602 रकबा 0.07 हे0, 603 रकबा 0.05 हे0 गै0मु0 आराजी चाह, 604 रकबा 0.31 हे0, 605 रकबा 0.10 हे0,608 रकबा 0.17 हे0, 609 रकबा 0.09 हे0, 611 रकबा 0.05 हे0, 615 रकबा 0.10 हे0,616 रकबा 0.13 हे0, 617/240 रकबा 0.09 हे0, 618 रकबा 0.37 हे0, 642 रकबा 0.11 हे0,643 रकबा 0.12 हे0, 644 रकबा 0.10 हे0, 645 रकबा 0.12 हे0, 646/1256 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 24 कुल रकबा 2.99 हे0 भूमि स्थित है।

यह कि खातेदार उदी पत्नि हीरा गाडरी का स्वर्गवास हो गया है, जिसके विधिक वारिसान नारायण आत्मज हीरा गाडरी, मांगी पुत्री हीरा गाडरी है।

उक्त अंकित आराजीयात में मुझ वादिया का 1/3 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या एक 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या दो का 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या तीन का 5/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या चार का 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/32 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 5/144 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या सात का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या आठ का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 1/32 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 का 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 का 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 का 1/32 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 का 1/32 हिस्सा निहित है। तथा मृतक खातेदार उदी पत्नि हीरा गाडरी के निहित 1/12 हिस्से को उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 व 13 के निहित हिस्से में सम्मिलित कर दिया गया है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 17 अपने - अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि वाद ग्रस्त आराजी में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात के मध्य राजस्व खाता आपस में शामिलानी दर्ज रेकार्ड है। वे अपने माफिक रेकार्ड हिस्से पर काबिज है लेकिन अपने हिस्से को उन्नत बनाने, डवलप करने, लगान का विभाजन करने,तथा कृषि कार्यो में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्णित आराजी में मौके पर कब्जे एवं हिस्सेनुसार विधिवत रूप से विभाजन कराया जाकर वादी खाते में दर्ज अपने निहित 1/3 हिस्से का स्वतंत्र संयुक्त राजस्व खाता रेवेन्यू रेकार्ड में खोले जाने एवं आराजी संख्या 603 रकबा 0.05 हे0 गै0मु0 आराजी चाह होने से काबिल बंटवारा नहीं होने से वादिया एवं प्रतिवादीगण के हिस्सेनुसार सामलाती खाते में दर्ज रखा जानेहेतु वाद प्रस्तुत है।

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
अधिकार पत्र देने वा...

2.

अतः सादर प्रार्थना है कि डिक्री बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादी संख्या एक लगायत 17 के इस आशय की सादर फरमायी जावे कि ग्राम गायत्रीनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ाके बैरून हल्का आबादी मे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत सात के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या 128में अंकित आराजी संख्या 560 रकबा 0.30 हे0, 595 रकबा 0.07 हे0, 596 रकबा 0.07 हे0, 597 रकबा 0.09 हे0, 598 रकबा 0.15 हे0, 599 रकबा 0.11 हे0, 600 रकबा 0.07 हे0, 601 रकबा 0.08 हे0, 602 रकबा 0.07 हे0, 603 रकबा 0.05 हे0 गै0मु0 आराजी चाह, 604 रकबा 0.31 हे0, 605 रकबा 0.10 हे0, 608 रकबा 0.17 हे0, 609 रकबा 0.09 हे0, 611 रकबा 0.05 हे0, 615 रकबा 0.10 हे0, 616 रकबा 0.13 हे0, 617/240 रकबा 0.09 हे0, 618 रकबा 0.37 हे0, 642 रकबा 0.11 हे0, 643 रकबा 0.12 हे0, 644 रकबा 0.10 हे0, 645 रकबा 0.12 हे0, 646/1256 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 24 कुल रकबा 2.99 हे0 भूमि में से आराजी संख्या 603 रकबा 0.05 हे0 गै0मु0 आराजी चाह को सामलाती रखते हुएकब्जे एवं हिस्से अनुसार विधिवत रूप से विभाजन कराया जाकर मुझ वादिया के निहित 1/3 हिस्से का स्वतंत्र कब्जा दिलाया जाकर उसका राजस्व खाता उक्त हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में अलग से दर्ज कराया जावें व विभाजन की आज्ञापति बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादी संख्या एक लगायत 17 सादर फरमाई जावें।

प्रकरण विधिवत दिनांक 07.02.2020 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन नोटिस दिये गये जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 18 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पैरोकार सरकार उपस्थित औपचारिक पक्षकार होना अंकित कर जवाब पेश नहीं करने से जवाब देही बन्द की गई।

वादिया अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करके सीधी बहस करनी चाही बहस एकपक्षीय सुनी गई अधिवक्तावादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये चालु जमाबंदी अनुसार मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए वादपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर गौर किया जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम गायत्रीनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 17के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या 128में अंकित आराजी संख्या 560 रकबा 0.30 हे0, 595 रकबा 0.07 हे0, 596 रकबा 0.07 हे0, 597 रकबा 0.09 हे0, 598 रकबा 0.15 हे0, 599 रकबा 0.11 हे0, 600 रकबा 0.07 हे0, 601 रकबा 0.08 हे0, 602 रकबा 0.07 हे0, 603 रकबा 0.05 हे0 गै0मु0 आराजी चाह, 604 रकबा 0.31 हे0, 605 रकबा 0.10 हे0, 608 रकबा 0.17 हे0, 609 रकबा 0.09 हे0, 611 रकबा 0.05 हे0, 615 रकबा 0.10 हे0, 616 रकबा 0.13 हे0, 617/240 रकबा 0.09 हे0, 618 रकबा 0.37 हे0, 642 रकबा 0.11 हे0, 643 रकबा 0.12 हे0, 644 रकबा 0.10 हे0, 645 रकबा 0.12 हे0, 646/1256 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 24 कुल रकबा 2.99 हे0 भूमि में से आराजी संख्या 603 रकबा 0.05 हे0 गै0मु0 आराजी चाह को सामलाती रखते हुए कब्जे एवं हिस्से अनुसार विधिवत रूप से विभाजन कराया जाकर मुझ वादिया के निहित 1/3 हिस्से का स्वतंत्र कब्जा दिलाया

जाकर उसका राजस्व खाता राजस्व रेकार्ड में अलग से नवीन जमाबंदी अनुसार कायम करते हुये कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुये दर्ज कराया जाना उचित है अतः

-: आदेश :-

वादिया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहकवादी विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 17 के इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम गायत्रीनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ाके बैरून हल्का आबादी मे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 17के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या 128में अंकित आराजी संख्या 560 रकबा 0.30 हे0, 595 रकबा 0.07 हे0, 596 रकबा 0.07 हे0, 597 रकबा 0.09 हे0, 598 रकबा 0.15 हे0, 599 रकबा 0.11 हे0, 600 रकबा 0.07 हे0, 601 रकबा 0.08 हे0, 602 रकबा 0.07 हे0, 603 रकबा 0.05 हे0 गै0मु0 आराजी चाह, 604 रकबा 0.31 हे0, 605 रकबा 0.10 हे0, 608 रकबा 0.17 हे0, 609 रकबा 0.09 हे0, 611 रकबा 0.05 हे0, 615 रकबा 0.10 हे0, 616 रकबा 0.13 हे0, 617/240 रकबा 0.09 हे0, 618 रकबा 0.37 हे0, 642 रकबा 0.11 हे0, 643 रकबा 0.12 हे0, 644 रकबा 0.10 हे0, 645 रकबा 0.12 हे0, 646/1256 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 24 कुल रकबा 2.99 हे0 भूमि में से आराजी संख्या 603 रकबा 0.05 हे0 गै0मु0 आराजी चाह को सामलाती रखते हुए कब्जे एवं हिस्से अनुसार विधिवत रूप से विभाजन कराया जाकर वादिया के निहित 1/3 हिस्से का स्वतंत्र कब्जा दिलाया जाकर उसका राजस्व खाता राजस्व रेकार्ड में अलग से नवीन जमाबंदी अनुसार कायम करते हुये कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के पेश करें। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा को जारी हो पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव पेश होने दिनांक 23.03.2021 को पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।



(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, गौलपुरा
सहाड़ा जिला, झारखण्ड

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापूर जिला- भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी - विकास पंचोली
प्रकरण संख्या :- 18/2020 (2020/00043) दर्ज दिनांक 07.02.2020
अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

श्रीमती लाडदेवी पत्नि मांगीलाल सुनार निवासी गंगापूर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादिया

बनाम

1. कंकु पुत्री जीतमल गाडरी
2. चांदी पुत्री जीतमल गाडरी
3. जगदीश आत्मज मांगु गाडरी
4. जेती पत्नि स्व० जीतमल गाडरी
5. जमनी पत्नि किशना गाडरी
6. देऊ पत्नि मांगु गाडरी
7. नाथु आत्मज कालु गाडरी
8. नानी पुत्री प्यारा गाडरी
9. नानी पुत्री रागा गाडरी
10. नारायण आत्मज हीरा गाडरी
11. भगु पुत्री जीतमल गाडरी
12. भेरी पुत्री किशना गाडरी नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता जमनी पत्नि किशना गाडरी
13. मांगी पुत्री हीरा गाडरी
14. शंकरलाल आत्मज जीतमल गाडरी
15. शिवलाल आत्मज जीतमल गाडरी
16. सावंरलाल आत्मज किशना गाडरी नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता जमनी पत्नि किशना गाडरी
17. सीमा पुत्री किशना गाडरी नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता जमनी पत्नि किशना गाडरी सर्व निवासी गायत्रीनगर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
18. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० शिवरती तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये व्यवस्थापक।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु० गंगापूर जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण


उपस्थिति:- अधिवक्ता वादीगण:- श्री भोलाराम माली
पेरोकार सरकार

सहायक कलक्टर
(अधिकारी)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु अदालत हाजा व बहाजरी अधिवक्ता वादिया श्री भोलाराम माली मिनजानिब मुदई व पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-
वादिया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहकवादी विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 17 के इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम गायत्रीनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी मे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 17 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की सम्बत् 2073 से 2076 खाता संख्या 128 में अंकित आराजी संख्या 560 रकबा 0.30 हे0, 595 रकबा 0.07 हे0, 596 रकबा 0.07 हे0, 597 रकबा 0.09 हे0, 598 रकबा 0.15 हे0, 599 रकबा 0.11 हे0, 600 रकबा 0.07 हे0, 601 रकबा 0.08 हे0, 602 रकबा 0.07 हे0, 603 रकबा 0.05 हे0 गै0मु0 आराजी चाह, 604 रकबा 0.31 हे0, 605 रकबा 0.10 हे0, 608 रकबा 0.17 हे0, 609 रकबा 0.09 हे0, 611 रकबा 0.05 हे0, 615 रकबा 0.10 हे0, 616 रकबा 0.13 हे0, 617/240 रकबा 0.09 हे0, 618 रकबा 0.37 हे0, 642 रकबा 0.11 हे0, 643 रकबा 0.12 हे0, 644 रकबा 0.10 हे0, 645 रकबा 0.12 हे0, 646/1256 रकबा 0.07 हे0 कुल कित्ता 24 कुल रकबा 2.99 हे0 भूमि में से आराजी संख्या 603 रकबा 0.05 हे0 गै0मु0 आराजी चाह को सामलाती रखते हुए कब्जे एवं हिस्से अनुसार विधिवत रूप से विभाजन कराया जाकर वादिया के निहित 1/3 हिस्से का स्वतंत्र कब्जा दिलाया जाकर उसका राजस्व खाता राजस्व रेकार्ड में अलग से नवीन जमाबंदी अनुसार कायम करते हुये कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के पेश करें।

नीज ×××× मुबलिग×××× बाबत××××खर्चा इस मुकदमें में मय सूद शरह×××× की फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक×××× अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.01.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई।



(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
गंगापुर जिला